सूचना नीलामी दिनांक 25.10.2024 जिला जजी, झांसी।

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2024-2025 हेतु निम्नलिखित दुकान की नीलामी दिनांक 25.10.2024 को समय 4:30 बजे जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा नामित समिति की देखरेख में नजारत अनुभाग, जनपद न्यायालय, झांसी में होगी।

विवरण नीलामी

1. कैन्टीन, जजी परिसर, झांसी।
2. जनरल स्टोर स्टेशनरी, जजी परिसर, झांसी।
3. फोटोस्टेट दुकान, जजी परिसर, झांसी।

नीलामी के नियम तथा शर्तें इस प्रकार से हैं।

1. पिछले वर्ष के बकायादार को नीलामी में भाग नही लेने दिया जायेगा।

2. नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति को 20 प्रतिशत सिक्योरटी धनराशि जमा करना होगी और वह माननीय जनपद न्यायाधीश,झांसी के आदेश दिनांकित 22.08.2024 के माध्यम से निर्धारित धनराशि की 20 प्रतिशत होगी।

3. बोली जिनके नाम छूटेगी उसे तत्काल ठेके की सम्पूर्ण धनराशि जमा करना होगी और उसे माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के परिपत्रों की अपेक्षानुसार एग्रीमेन्ट अपने व्यय पर निष्पादित करना होगा।

4. अधिक बोली दाता के पक्ष में ठेका होने पर यदि उसके द्वारा तत्काल सम्पूर्ण धनराशि जमा नहीं की जाती तो नीलामी समिति स्वविवेकानुसार अधिकतम बोली के निकटतम बोली बोलने वाले के पक्ष में बोली स्वीकृत कर सकती है और ऐसी स्थिति में एेसे व्यक्ति को उसके द्वारा बोली गयी बोली की धनराशि तत्काल जमा करनी होगी।

5. यदि जिस व्यक्ति के पक्ष में बोली छोड़ी गयी अथवा नीलामी समिति द्वारा स्वीकृत की गई उसके द्वारा सम्पूर्ण धनराशि तत्काल जमा नहीं की गयी तो उसकी सिक्योरटी धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

6. सभी वर्तमान ठेकेदार को नीलामी की शर्तों के अनुरूप बोली में भाग लेने का अधिकार रहेगा।

7. किसी ठेकेदार को स्थाई प्रकृति का निर्माण अथवा अतिक्रमण करने का अधिकार नहीं होगा तथा देय दुकान उसकी ओर से अन्य किसी को किराये पर उठाने का अधिकारी नहीं होगा।

8. नीलामी में दुकान प्राप्त करने वाले बोलीदाता को निर्धारित स्थान से अतिक्रमण करने पर उसका ठेका निरस्त कर दिया जायेगा।

9. ठेकेदार को दुकान के आस पास सफाई की व्यवस्था स्वयं अपने खर्चे पर करना होगी तथा गन्दगी पाये जाने पर उसका ठेका निरस्त कर दिया जायेगा।

10. कोई भी के ठेकेदार तम्बाकू, सिगरेट, बीडी तथा तम्बाकू से निर्मित सामग्री नही बेचेगे इस सम्बन्ध में उन्हे एक अन्डरटेकिंग देनी होगी।

11. ठेकेदार जो खाद्य सामग्री बिक्री करेगें वह खाद्य अपमिश्रण एक्ट के मानकों के अनुरूप होगी तथा कोई भी ठेकेदार अपमिश्रित खाद्य सामग्री का विक्रय नहीं करेगा।

12. खाद्य वस्तुओं का विक्रय करने वाले दुकानदार वैध कनेक्शन द्वारा एल०पी०जी० गैस का प्रयोग करेगें और किसी तरह का प्रदुषण नहीं करेगे तथा अग्नि शमन यंत्र उपलब्ध रखेगे।

13. किसी भी दुकानदार द्वारा ठेके पर दुकान प्राप्त करने के प्रयोजन के अलावा अन्य किसी कार्य हेतु दुकान का प्रयोग या उपयोग नही किया जायेगा और ना ही किसी अवैध कार्य में प्रयोग तथा क्रिया कलाप में संलिप्त रहेगा।

14. ठेका शर्तों के उल्लघंन पर किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के जमा धनराशि जब्त करते हुये ठेका माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा निरस्त किया जा सकेगा तथा ठेकेदार/दुकानदार को अविलम्ब दुकान खाली करके कब्जा वापिस करना होगा अन्यथा दुकानदार/ठेकेदार के खर्चे पर दुकान खाली करा ली जायेगी और दुकान पुनः नीलाम/आवंटन योग्य होगी।

15. दुकानदार विक्रय की जाने वाली वस्तु की सूची व मूल्य प्रदर्शित करेगे तथा खुले व कटे खाद्य पदार्थों की बिक्री नही करेंगे।

16. अपराधिक इतिहास वाले किसी भी व्यक्ति को बोली में भाग लेने का अधिकार नही होगा। यदि इस तथ्य को छिपाये जाने पर किसी व्यक्ति का ठेका स्वीकृत हो जाता है, तब उसकी जानकारी होने पर ठेका तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा एवं उसके द्वारा जमा धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

17. ठेके की बोली को स्वीकृत व अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार माननीय जनपद न्यायाधीश को होगा तथा उनका निर्णय अन्तिम होगा एवं माननीय जनपद न्यायाधीश को अधिकतम बोलीदाता का ठेका भी बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार होगा।

18. वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर दुकानदार को दुकान खाली कर कब्जा देना होगा अन्यथा वह प्रत्येक अतिरिक्त दिवस हेतु नीलामी राशि के 5 प्रतिशत के बराबर प्रतिकर राशि अदा करने का उत्तरदायी होगा व इसके अतिरिक्त भी वह विधि अनुसार बेदखल होने का पात्र होगा।

19. कार्यालय द्वारा भूमि भवन के अतिरिक्त अन्य कोई सुविधा प्रदान नही की जावेगी, विद्युत व जल आपूर्ति की व्यवस्था ठेकेदार को स्वयं करना होगी।

प्रभारी अधिकारी नजारत,
जनपद न्यायालय, झांसी।